भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1101

दिनांक 24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य अवसंरचना निधियों का आवंटन

1101. सुश्री इकरा चौधरीः
श्री अजेन्द्र सिंह लोधीः
श्री लालजी वर्माः
श्रीमती रुचि वीराः
श्री नीरज मौर्यः
श्री हरेन्द्र सिंह मलिकः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2025-26 के दौरान देश और उत्तर प्रदेश में आवंटित कुल स्वास्थ्य अवसंरचना निधियों का वास्तविक प्रतिशत कितना है जिसे वास्तव में जिला अस्पतालों और गंभीर परिचर्या ब्लॉकों के निर्माण पर खर्च किया गया था;

(ख) महोबा, बांदा और हमीरपुर जिलों सहित उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत और कितने नव-निर्मित अभिघात केन्द्र और गंभीर परिचर्या ब्लॉक हैं जो वर्तमान में निष्क्रिय पड़े हैं अथवा विशेषज्ञ चिकित्सकों और आधुनिक उपकरणों की कमी के कारण पूरी तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) क्या महोबा, बांदा और हमीरपुर जिलों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी पर्याप्त अवसंरचना की कमी के कारण गरीब रोगियों को अभी भी उपचार के लिए बड़े शहरों में भेजना पड़ता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त चिकित्सा परियोजनाओं के माध्यम से स्थानीय पराचिकित्सकों और शिक्षित युवाओं के लिए तकनीकी रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए सरकार की क्या ठोस योजना है;

(ङ) केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश के कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, अभिघात केन्द्रों और गंभीर परिचर्या ब्लॉकों की स्थापना करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त राज्य के अम्बेडकर नगर, मुरादाबाद, आंवला और मुजफ्फरनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभिघात केन्द्रों और क्रिटिकल केयर ब्लॉकों के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): सभी को समान, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कार्यान्वित कर रहा है। सरकार

स्वास्थ्य अवसंरचना को बेहतर बनाने, स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने और विशेषकर अल्पसेवित और हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुंच में सुधार हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान एनएचएम के अंतर्गत देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए सभी नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की होती है। राज्यों द्वारा अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में दिए गए प्रस्तावों के आधार पर, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के समग्र संसाधन और मौजूदा मानदंडों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक राज्य को दिए गए अनुमोदन कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) में दर्ज हैं, जो नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं: https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें कुछ केंद्रीय क्षेत्र के घटक शामिल हैं और योजना अवधि (2021-22 से 2025-26) के लिए इसका परिव्यय 64,180 करोड़ रुपये है। पीएम-अभिम के अंतर्गत किए गए उपाय प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट सभी स्तरों पर स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमताओं का विकास करने पर केंद्रित है, ताकि स्वास्थ्य प्रणालियां वर्तमान और भविष्य की वैश्विक महामारियों/आपदाओं का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए तैयार रहें। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय निर्गम और व्यय का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के लिए पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत सीसीबी के अनुमोदन का विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य का नाम	**अनुमोदित इकाइयाँ**
उत्तर प्रदेश	74

इसके अतिरिक्त, एनएचएम के अंतर्गत अवसंरचना संसाधनों का विवरण वित्त वर्ष 2022-23 की भारत की स्वास्थ्य गतिशीलता (अवसंरचना और मानव संसाधन) रिपोर्ट से प्राप्त किया जा सकता है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है:
https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) ने स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए अनुदान की सिफारिश की है, जो वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि में वितरित किए जाएंगे, ताकि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके और इसके लिए

70,051 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। ये अनुदान भवन रहित उप-स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), ग्रामीण पीएचसी और उप-केंद्रों के आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) में रूपातरण, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों, ब्लॉक स्तरीय जन स्वास्थ्य इकाइयों और शहरी एएएम के लिए नैदानिक अवसंरचना हेतु सहायता प्रदान करना जैसे निर्दिष्ट घटकों के माध्यम से प्राथमिक परिचर्या को सुदृढ़ करने के लिए हैं। एफसी-XV के तहत वर्ष 2025-26 की अवार्ड अवधि के लिए राज्य-वार जारी की गई धनराशि और व्यय का विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एसपीआईपी अनुमोदन और अवसंरचना सुदृढ़ीकरण (ग्रामीण एवं शहरी) पर व्यय

लाख रुपये में

क्र.सं.	राज्य	2025-26	
		एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	37.00	3.20
2	आंध्र प्रदेश	16,340.55	1,764.63
3	अरुणाचल प्रदेश	2,000.77	2,820.97
4	असम	14,879.54	6,350.12
5	बिहार	7,901.33	14,274.63
6	चंडीगढ़	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	31,842.98	2,735.17
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	3.60	0.00
9	दिल्ली	6,257.50	2,029.79
10	गोवा	39.40	23.96
11	गुजरात	4,351.95	165.13
12	हरियाणा	682.15	608.28
13	हिमाचल प्रदेश	6.00	2.00
14	जम्मू और कश्मीर	600.00	578.47
15	झारखंड	4,057.90	1,381.17
16	कर्नाटक	18,729.15	346.51
17	केरल	3,522.27	5,378.13

18	लक्षद्वीप	0.00	0.00
19	मध्य प्रदेश	52,780.59	22,130.52
20	महाराष्ट्र	61,720.20	22,687.73
21	मणिपुर	4,828.53	1,128.12
22	मेघालय	427.13	903.91
23	मिजोरम	159.29	284.98
24	नागालैंड	9,360.10	1,369.20
25	ओडिशा	41,217.94	1,12,031.40
26	पुदुचेरी	3.48	5.07
27	पंजाब	475.79	237.09
28	राजस्थान	1,25,300.54	38,877.53
29	सिक्किम	1,223.17	269.63
30	तमिलनाडु	35,634.37	34,960.85
31	तेलंगाना	3,816.29	4,194.56
32	त्रिपुरा	3,417.36	3,237.40
33	उत्तर प्रदेश	1,50,093.34	8,365.55
34	उत्तराखंड	5,922.46	2,493.83
35	पश्चिम बंगाल	22,960.03	4,198.55
36	लद्दाख	1,884.45	710.40

नोट:

1. एसपीआईपी का अनुमोदन और व्यय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों के अनुसार हैं और अनंतिम हैं।

2. व्यय में केंद्रीय निर्गम, राज्य निर्गम और वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि के सापेक्ष किया गया व्यय शामिल है।

अनुलग्नक-**II**

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-**एबीएचआईएम**) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय निर्गम और व्यय

करोड़ रुपये में

क्र.सं.	**राज्य/** संघ राज्य क्षेत्र **का नाम**	**2025-26**	
		केंद्रीय निर्गम	**व्यय**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6.77	2.76
2	आंध्र प्रदेश	59.32	98.86
3	अरुणाचल प्रदेश	0.88	0.98
4	असम	164.17	209.85
5	बिहार	76.85	128.08
6	चंडीगढ़	5.13	8.75
7	छत्तीसगढ़	32.78	55.33
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	7.18	1.02
9	दिल्ली	40.85	7.09
10	गोवा	0.61	1.06
11	गुजरात	100.52	167.54
12	हरियाणा	19.19	32.73
13	हिमाचल प्रदेश	93.27	103.63
14	जम्मू और कश्मीर	49.69	89.56
15	झारखंड	89.02	148.37
16	कर्नाटक	199.75	332.91
17	केरल	26.45	44.08

18	लद्दाख	1.03	0.93
19	लक्षद्वीप	0.32	0.29
20	मध्य प्रदेश	130.42	227.36
21	महाराष्ट्र	221.13	368.56
22	मणिपुर	8.77	13.37
23	मेघालय	23.03	25.12
24	मिजोरम	2.05	4.23
25	नागालैंड	3.30	6.57
26	ओडिशा	137.19	228.65
27	पुदुचेरी	9.00	13.76
28	पंजाब	71.66	119.44
29	राजस्थान	189.31	315.51
30	सिक्किम	4.90	5.54
31	तमिलनाडु	172.51	283.44
32	तेलंगाना	151.12	251.87
33	त्रिपुरा	3.57	3.83
34	उत्तर प्रदेश	211.88	511.46
35	उत्तराखंड	33.88	37.65
36	पश्चिम बंगाल	91.42	152.37

नोट:

1. जारी किए गए उपरोक्त निर्गम केंद्र सरकार के अनुदानों से संबंधित हैं और इनमें राज्य सरकार का अंशदान शामिल नहीं है।

2. व्यय में केन्द्रीय निर्गम, राज्य निर्गम और वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि के सापेक्ष किया गया व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई एफएमआर के अनुसार है और अनंतिम है।

अनुलग्नक-**III**

पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-**XV**वां) के तहत वर्ष **2025-26** की अवार्ड अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी निधि और व्यय

करोड़ रुपये में

क्र.सं.	**राज्य**	**अवार्ड अवधि 2025-26**	
		जारी निधि	**वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य की सूचना के अनुसार उपयोग की गई निधि ।**
1	आंध्र प्रदेश	567.40	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	15.65	0.00
3	असम	54.24	11.45
4	बिहार	555.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00
6	गोवा	0.00	0.00
7	गुजरात	726.36	0.00
8	हरियाणा	125.69	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	112.93	34.97
10	झारखंड	516.70	145.77
11	कर्नाटक	356.16	0.01
12	केरल	647.06	0.00
13	मध्य प्रदेश	778.41	0.00
14	महाराष्ट्र	1,539.71	83.60
15	मणिपुर	0.00	0.00

16	मेघालय	0.00	0.00
17	मिजोरम	0.00	0.00
18	नागालैंड	0.00	0.00
19	ओडिशा	483.04	214.08
20	पंजाब	423.03	0.00
21	राजस्थान	895.12	105.72
22	सिक्किम	12.09	0.00
23	तमिलनाडु	932.93	477.24
24	तेलंगाना	485.53	162.11
25	त्रिपुरा	98.59	23.22
26	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00
27	उत्तराखंड	0.00	0.00
28	पश्चिम बंगाल	859.18	0.00

नोट:

1. उपरोक्त निर्गम दिनांक 31.03.2026 तक अद्यतन हैं और अनंतिम है।

2. व्यय राज्यों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के अनुसार है और अनंतिम है।
